

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)
बईजलास श्रीमति शिल्पा सिंह, (आई0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

श्री गोविन्द परमार आत्मज भूर जी परमार हजूसी निवासी शाहपुरा हाल राजकोट गुजरात
जरिये पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर श्री कान चौहान पिता नारायण चौहान निवासी आदर्श
कोलोनी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– वादी

बनाम

तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– प्रतिवादी

वाद पत्र किये जाने इन्द्राज दुरुस्ती एवं घोषणा

मुकदमा नम्बर 242 सन् 2010 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब
मुदई वX मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है।
डिक्री दी जाती है कि :-

वाद वादी अदम हजारी अदम पैरवी खारिज किया जाता है।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 17 माह 08 सन् 2021 को जारी की गई।



(शिल्पा सिंह आई0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, शाहपुरा (भीलवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.